राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–एफ2(9034)/सू.प्रौ./संस्था/2020/00405/2020 जयपुर,दिनांक 20/01/2020

कार्यालय–आदेश

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र पत्रांक प.2(1725) डीओआईटी/संस्था/13/आई/12335/2013 दिनांक 17.10.2013 की निरन्तरता में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 के अनुसार समस्त कार्मिकों को किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम हेतु किसी संस्थान में प्रवेश से पूर्व सक्षम विभागीय अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि कोई कार्मिक उक्त नियम के विरूद्ध सम्यक रूप से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी संस्थान के पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु आवेदन करता है/प्रवेश लेता है तो इसे आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाकर उक्त कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

यह देखने मे आया है कि विभाग के कार्मिक बिना किसी अनुमति के स्वंय के स्तर पर विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लेते है और इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा से पूर्व विभाग को परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आवेदन करते है। यह प्रवृति नियम विरूद्ध है और राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 का उल्लंघन है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 2020–2021 में अध्ययन हेतु बिना विभागीय पूर्वानुमति के कोई भी कार्मिक किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही लेगा, जिन कार्मिकों ने पूर्व में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हुआ है वह सत्र 2020–21 हेतु विभाग से अध्ययन के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे। किसी भी कार्मिक को अध्ययन हेतु प्राप्त की गई पूर्वानुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी(यू.आई.डी)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ।
2. प्रभारी अधिकारी वेबसाईट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,जयपुर।
3. संबंधित राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिक।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

Scanned by CamScanner